(वाद सं0– 5933/4/21/2021)

23.09.2022

प्रसंगाधीन मामला परिवादी, चन्द्रशेखर मिश्र, प्रहरी, (BISCOMAUN) बिस्कोमान, के अगस्त 2014 में सेवानिवृत हो जाने के बाद भी अबतक क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, पटना द्वारा अनुमान्य सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं किये जाने से सम्बन्धित है।

उक्त पर **प्रबन्ध निदेशक,** (BISCOMAUN) बिस्कोमान, पटना तथा सहायक भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, पटना से प्रतिवेदन की मांग की गई। क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, पटना के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वारा अपने नवीनतम प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी को चेक संख्या–863744, दिनांक–12.05.2022 द्वारा उसके पंजाब नेशनल बैंक, R.K. College, मधुबनी शाखा के बचत खाता संख्या–4743000100030945 में 116495/– (एक लाख सोलह हजार चार सौ पनचानवे) रूपये का भुगतान किया जा चुका है। उनकी ओर से उक्त के आलोक में प्रसंगाधीन परिवाद को संचिकास्त करने का अनुरोध किया गया है।

अब जबकि परिवादी के शिकायत का समक्ष प्राधिकार द्वारा समुचित समाधान किया जा चुका है तो ऐसी परिस्थिति में प्रसंगाधीन मामले को राज्य आयोग के स्तर से मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर संचिकास्त किया जाता है।

कार्यालय, आज पारित आदेश की प्रति के साथ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, क्षेत्रीय भविष्य निधि कार्यालय, पटना के प्रतिवेदन (पृष्ठ 63–62/प0) की प्रति संलग्न कर तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक